भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *19
उत्तर देने की तारीख 03.02.2025

सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान योजना

***19. श्री अनुराग शर्मा :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान योजना (सीएफपीजीएस) का ब्यौरा क्या है तथा उसके तहत पात्रता मानदंड क्या हैं और किस प्रकार के कार्याकलापों को सहायता प्रदान की जाती है और कितनी सहायता प्रदान की जाती है;
(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान उक्त योजना के तहत प्राप्त और स्वीकृत आवेदनों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प-सेवित क्षेत्रों में सांस्कृतिक समारोहों और उनके उत्पादनों को बढ़ावा देने और उनमें सहायता करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं;
(घ) उक्त योजना के तहत चयन प्रक्रिया और धनराशि के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार की सीएफपीजीएस का विस्तार करने और उसे सुदृढ़ करने की क्या योजना है; जिसमें वित्तपोषण बढ़ाना और इसके तहत विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यकलापों में सहायता प्रदान करना शामिल है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ड़) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान योजना' के संबंध में दिनांक 3 फरवरी, 2025 को श्री अनुराग शर्मा द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *19 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी) स्कीम में सभी 'गैर-लाभ-अर्जक' संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, समितियों, न्यासों और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जो संगोष्ठियों, सम्मेलनों, शोध, कार्यशालाओं, उत्सवों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, नृत्य, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के निर्माण और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर लघु शोध परियोजनाओं में सहायता प्रदान करते हैं। सीएफपीजी स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं: -

(i) संगठन को कम से कम तीन वर्षों से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI), न्यास अधिनियम, कंपनी अधिनियम या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत और कार्यरत होना चाहिए।

(ii) वे आवेदक संगठन जो स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संगठन हैं, अनुदान अर्हता प्राप्त करने के लिए पात्रता हेतु उनका समुचित रूप से गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए, जिसकी शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हों और लिखित संविधान के रूप में निर्धारित हों।

(iii) वे आवेदक संगठन जो स्वयंसेवी संगठन हैं या गैर-सरकारी संगठन हैं, उनको नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और पोर्टल से एक विशिष्ट आईडी प्राप्त करनी होगी। योजना के तहत आवेदन करते समय संगठनों को एनजीओ दर्पण पोर्टल से प्राप्त विशिष्ट आईडी और संगठन के पैन नंबर का उल्लेख करना होगा ।

(iv) संगठन को परियोजना लागत के कम से कम 25% तक समतुल्य संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी या उनकी योजना बनानी होगी।

(v) संगठन के पास उस आयोजन/परियोजना को शुरू करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, कार्मिक और अनुभव होना चाहिए, जिसके लिए अनुदान की आवश्यकता है।

(vi) ऐसे समारोह, जिनके लिए आवेदन किया गया हो, उनका आयोजन करने के पूर्व अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता की राशि प्रस्तावित परियोजना व्यय के 75% तक सीमित है, जो अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक हो सकती है। तथापि, मंत्रालय असाधारण परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी भी उत्कृष्ट योग्यता और प्रासंगिकता वाली परियोजना के लिए सहायता राशि को 20.00 लाख रुपये तक बढ़ा सकता है। यह अनुदान 75% और 25% की दो किस्तों में जारी किया जा रहा है।

(ख): विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त स्कीम के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित आवेदनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** पर संलग्न है।

(ग) और (घ): विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सेवित क्षेत्रों में सांस्कृतिक समारोहों और प्रस्तुतियों को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए, संस्कृति मंत्रालय 'सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान' और 'राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता' नामक दो स्कीमें संचालित कर रहा है, जिसमें ग्रामीण और सुविधा वंचित क्षेत्रों सहित देश भर में कला और संस्कृति की विभिन्न शैलियों में निर्माण के मंचन, समारोह आदि की परिकल्पना की गई है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। इन स्कीमों के तहत, सांस्कृतिक संगठनों से नए निर्माणों, समारोहों के लिए वार्षिक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ताकि उन्हें विधिवत गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जा सके। विशेषज्ञ समिति इन आवेदनों का मूल्यांकन करती है और इन संगठनों की सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल, प्रस्ताव की गुणवत्ता और इन योजनाओं के दिशानिर्देशों में निर्धारित इन संगठनों द्वारा अन्य आवश्यक अनिवार्य दस्तावेज़ों को प्रस्तुत किए जाने के आधार पर वित्तीय सहायता की अनुशंसा करती है। तत्पश्चात, विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा को मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

अनुमोदित लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दो किस्तों में जारी की जाती है, अर्थात पहली किस्त (75%) विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार निर्माण के मंचन/समारोह/संगोष्ठी आदि के लिए अग्रिम रूप से प्रदान की जाती है और दूसरी किस्त (शेष 25%) अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज जैसे कि पहली किस्त की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र, मंचन की तस्वीरें, प्रेस क्लिपिंग आदि प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाती है।

(ङ.): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक

'सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान योजना' के संबंध में दिनांक 3 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *19 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(सांस्कृतिक समारोह एवं निर्माण अनुदान स्कीम)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2020-21		2021-2022		2022-23	
		कुल प्राप्त मामले	अनुमोदित मामले	कुल प्राप्त मामले	अनुमोदित मामले	कुल प्राप्त मामले	अनुमोदित मामले
1.	आंध्र प्रदेश	147	27	165	60	133	27
2.	अंडमान निकोबार	01	00	000	00	000	00
3.	अरुणाचल प्रदेश	07	00	000	00	02	00
4.	असम	30	23	36	31	39	29
5.	बिहार	96	69	113	91	122	87
6.	चंडीगढ़	02	02	02	02	02	01
7.	छत्तीसगढ	06	03	10	03	22	08
8.	दिल्ली	127	94	140	115	149	112
9.	गोवा	00	00	01	01	01	01
10.	गुजरात	13	11	07	04	10	07
11	हरियाणा	30	20	29	28	26	25
12.	हिमाचल प्रदेश	05	01	17	13	12	11
13.	जम्मू और कश्मीर	36	23	53	38	33	26

14.	झारखंड	14	07	15	10	09	08
15.	कर्नाटक	411	161	382	215	376	165
16.	केरल	27	26	18	17	33	26
17.	मध्य प्रदेश	131	92	151	116	162	126
18.	महाराष्ट्र	80	53	89	41	67	29
19.	मणिपुर	123	93	152	131	183	111
20.	मेघालय	01	01	000	00	000	00
21.	मिजोरम	05	01	000	00	03	00
22.	नागालैंड	09	06	02	01	01	00
23.	ओडिशा	159	109	185	131	249	164
24.	पुदुच्चेरी	00	00	000	00	02	02
25.	पंजाब	10	08	14	08	14	10
26.	राजस्थान	34	32	36	36	46	42
27.	सिक्किम	000	00	03	03	02	01
28.	तमिलनाडु	17	12	16	14	24	12
29.	तेलंगाना	32	12	43	18	51	17
30.	त्रिपुरा	10	08	15	12	14	09
31.	उत्तर प्रदेश	563	159	310	197	660	207
32.	उत्तराखंड	24	19	27	20	25	14
33.	पश्चिम बंगाल	307	242	366	271	380	232
	कुल	**2457**	**1314**	**2397**	**1627**	**2852**	**1509**

अनुलग्नक-I

'सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान योजना' के संबंध में दिनांक 3 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *19 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(सांस्कृतिक समारोह एवं निर्माण अनुदान योजना)

1 **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी):** इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों / सोसाइटियों / न्यासों/ विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, उत्सवों, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत संगठन के लिए 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे असाधारण मामलों में 20 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। विगत पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या सहित जारी की गई निधि का वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	2019-20	11.99	975
2.	2020-21	16.51	1471
3.	2021-22	23.30	1615
4.	2022-23	32.75	2135
5.	2023-24	24.55	2242
6.	2024-25 (30.01.2025 तक)	20.21	999

2. राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता: देश भर में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को बढ़ावा देने और उनकी सहायता करने के लिए यह अनुदान ऐसे संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय

हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या सहित वर्ष-वार जारी की गई निधि का विवरण (आर. के. मिशन को जारी की गई निधियों सहित) तालिका में दिया गया है।

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)
1.	2019-20	8	7.01
2.	2020-21	6	9.03
3.	2021-22	6	7.58
4.	2022-23	15	11.60
5.	2023-24	24	12.57
6.	2024-25 (29.01.2025 तक)	10	6.73

अनुपूरक नोट

सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान का संक्षिप्त विवरण

उद्देश्य: इस स्कीम घटक का उद्देश्य 'गैर-लाभ-अर्जक' संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, सोसाइटियों न्यासों, विश्वविद्यालयों को उत्सवों, संगोष्ठियों, समारोहों, सम्मेलन, अनुसंधान, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, विचारगोष्ठियों, नृत्य, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के निर्माण और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर लघु अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

सहायता की राशि: इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की राशि, व्यय के 75% तक सीमित है, जो प्रति परियोजना अधिकतम 5.00 लाख रुपये है। तथापि, मंत्रालय विशेष परिस्थितियों में, माननीय संस्कृति मंत्री के अनुमोदन से किसी भी उत्कृष्ट योग्यता और प्रासंगिकता वाली परियोजना के लिए सहायता राशि को 20.00 लाख रुपये तक बढ़ा सकता है। अनुदान 75% और 25% की दो किस्तों में जारी किया जाता है।

विगत 5 वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि

इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या के सहित वर्ष-वार जारी की गई धनराशि का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
7.	2019-20	11.99	975
8.	2020-21	16.51	1471
9.	2021-22	23.30	1615
10.	2022-23	32.75	2135
11.	2023-24	24.55	2242
12.	2024-25 (30.01.2025 तक)	20.21	999

एस एंड एफ अनुभाग में विभिन्न स्कीमों/स्कीम घटकों के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

(लाख रुपए में)

म सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-2020		2020-2021		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (30.01.2025 तक)	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि
1.	अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	16	13.75	34	23.06	54	66.67	65	62.85	83	80.70	29	55.88
3.	अरुणाचल प्रदेश	02	1.00	1	0.375	1	2.25	-	-	-	-	-	-
4.	असम	20	20.13	35	30.12	25	34.66	48	96.21	68	114.11	19	25.33
5.	बिहार	43	52.18	51	42.94	67	95.26	123	203.20	126	161.00	36	63.55
6.	चंडीगढ़	-	-	7	11.75	4	8.25	01	0.50	3	21.69	01	10.00
7.	छत्तीसगढ	-	-	6	8.75	6	13.03	03	5.50	4	7.50	03	6.42
8.	दिल्ली	102	195.13	144	263.21	119	263.42	167	408.06	204	370.03	81	215.25
9.	गोवा	1	0.375	1	0.75	2	3.75	1	0.625	1	1.50	01	0.625
10.	गुजरात	7	8.50	13	18.43	11	19.12	17	23.40	16	12.34	02	1.04
11.	हरियाणा	18	24.18	28	43.26	24	42.43	28	62.59	36	74.72	23	78.56
12.	हिमाचल प्रदेश	5	5.96	7	4.20	14	21.91	08	11.00	15	25.75	08	6.50
13.	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	12	16.32	32	28.31	41	43.63	52	50.33	49	33.76	14	9.84
14.	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	झारखंड	2	2.50	1	0.50	6	11.37	11	14.26	7	8.00	05	8.75
16.	कर्नाटक	146	121.78	194	205.70	203	284.60	218	349.42	221	208.22	141	319.84
17.	केरल	16	28.00	23	37.03	28	57.52	30	48.38	30	40.27	14	47.13
18.	मध्य प्रदेश	51	47.59	77	79.78	94	200.12	141	264.90	161	155.17	49	96.82
19.	महाराष्ट्र	21	38.97	34	56.27	27	63.63	56	104.12	34	29.64	14	34.13
20.	मणिपुर	60	63.11	112	112.69	93	115.04	162	196.17	237	249.25	66	63.10
21.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	मिजोरम	-	-	2	3.00	2	1.50	-	-	-	-	-	-
23.	नागालैंड	3	4.50	3	1.04	2	2.25	5	4.62	4	1.35	01	0.25
24.	ओडिशा	55	64.79	131	173.81	149	182.99	180	296.88	168	269.71	120	354.15
25.	पुदुच्चेरी	2	2.37	-	-	1	3.00	-	-	-	-	-	-
26.	पंजाब	8	14.87	5	8.60	13	22.21	12	23.27	11	22.65	07	17.50
27.	राजस्थान	34	40.70	38	28.31	33	63.81	48	81.16	57	46.28	20	30.80
28.	सिक्किम	1	3.37	-	-	-	-	-	-	1	3.75	-	-
29.	तमिलनाडु	8	14.58	27	46.15	21	34.84	15	18.87	11	10.73	07	22.75

30.	तेलंगाना	7	6.30	16	19.77	9	13.87	16	16.87	16	9.61	14	26.34
31.	त्रिपुरा	7	13.19	4	6.50	5	5.75	16	16.15	23	24.94	05	3.25
32.	उत्तराखंड	7	7.77	14	14.36	16	14.78	24	28.11	31	21.91	10	12.00
33.	उत्तर प्रदेश	131	126.78	202	167.15	235	274.55	278	343.33	268	244.07	128	226.84
34.	पश्चिम बंगाल	190	260.66	229	216.09	310	364.14	410	544.44	357	206.86	181	285.26
कुल		**975**	**1199.35**	**1471**	**1651.90**	**1615**	**2330.35**	**2135**	**3275.21**	**2242**	**2455.51**	**999**	**2021.90**

सांस्कृतिक समारोह एवं निर्माण अनुदान के संबंध में संभावित प्रश्न

प्रश्न 1. स्कीम का उद्देश्य क्या है?

उत्तर :- इस स्कीम का उद्देश्य गैर-लाभ-अर्जक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), सोसाइटयों, न्यासों और विश्वविद्यालयों को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध, कार्यशालाएँ, उत्सव, प्रदर्शनियाँ, विचार-गोष्ठियां, नृत्य, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के निर्माण और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर छोटे शोध परियोजनाओं के संचालन के लिए अनुदान प्रदान करना है। तथापि, यह स्कीम ऐसे संगठनों या संस्थानों पर लागू नहीं है जो धार्मिक संस्थानों या विद्यालयों/महाविद्यालयों के रूप में काम कर रहे हैं। यह स्कीम महाविद्यालय/विश्वविद्यालय उत्सवों के लिए नहीं है।

प्रश्न 2. इस स्कीम का प्रशासन कौन कर रहा है?

उत्तर : संस्कृति मंत्रालय का एस एंड एफ अनुभाग इस स्कीम का संचालन कर रहा है। तथापि, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज इस योजना के तहत सभी आवेदन प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए नोडल एजेंसी है।

प्रश्न 3. स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

उत्तर :- पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

i. संगठन को कार्यात्मक होना चाहिए और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI), ट्रस्ट अधिनियम , कंपनी अधिनियम या केन्द्र अथवा केंद्रीय राज्य अधिनियम के तहत कम से कम तीन वर्षों तक पंजीकृत होना चाहिए।

ii. आवेदक संगठन जो स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संगठन हैं, उनके पास उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए, जिसकी शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित हों और लिखित संविधान के रूप में निर्धारित हों।

iii. आवेदक संगठनों को नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और पोर्टल से एक विशिष्ट आईडी प्राप्त करनी होगी। संगठनों को स्कीम के तहत आवेदन करते समय एनजीओ दर्पण पोर्टल से प्राप्त विशिष्ट आईडी और संगठन के पैन नंबर के संबंध में सूचित करना होगा।

iv. आवेदक संगठन के पास (i) कुल लागत का कम से कम 25% नियोजित मिलान संसाधन होना चाहिए; (ii) उस आयोजन/परियोजना को शुरू करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, कार्मिक और अनुभव होना चाहिए जिसके लिए अनुदान अपेक्षित है ; और (iii) ऐसे समारोह आयोजित करने के लिए पूर्व अनुभव होना चाहिए।

प्रश्न 4. इस स्कीम के अंतर्गत कौन से कार्यकलाप शामिल हैं?

उत्तर :- इस स्कीम के अंतर्गत शामिल कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

i. किसी भी कला रूप/महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मामलों पर सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, विचार-गोष्ठियां, उत्सव, प्रदर्शनियां, नृत्य, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि का निर्माण तथा लघु शोध परियोजनाएं आदि शुरू करना है।

ii. प्रकाशन सहित सांस्कृतिक विषयों पर सर्वेक्षण, पायलट परियोजनाएं आदि जैसे विकासात्मक प्रकृति के कार्यकलापों पर व्यय वहन करना।

प्रश्न 5. स्कीम के अंतर्गत सहायता की मात्रा कितनी है?

उत्तर : विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान व्यय के 75% तक सीमित है, जो विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित प्रति परियोजना अधिकतम 5.00 लाख रुपये के अध्यधीन है। तथापि, मंत्रालय विशिष्टि परिस्थितियों में माननीय संस्कृति मंत्री के अनुमोदन से उत्कृष्ट एवं प्रासंगिक किसी भी परियोजना के लिए सहायता 20.00 लाख रुपये तक बढ़ा सकता है।

प्रश्न 6. स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पूर्व शर्तें क्या हैं?

उत्तर : - आवेदक संगठन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI), ट्रस्ट अधिनियम, कंपनी अधिनियम, केन्द्र अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत कम से कम तीन वर्षों तक सोसायटी/ट्रस्ट आदि के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। स्कीम के अंतर्गत अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले, नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल से एक विशिष्ट आईडी प्राप्त करें।

प्रश्न 7. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर : - यह स्कीम पूरे वर्ष चलती है। इस स्कीम के तहत अनुदान के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनसीजेडसीसी), 14, सीएस पी सिंह मार्ग, प्रयागराज को भेजा जा सकता है। आवेदन पत्र किसी भी राष्ट्रीय अकादमी, भारत सरकार के अधीन किसी अन्य संस्कृति- संबंधी संगठन या संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, राज्य अकादमियों द्वारा अनुशंसित होना चाहिए ।

प्रश्न 8. चयन की विधि क्या है?

उत्तर :- इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान पर विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की विधिवत गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाता है तथा उसकी संस्तुति की जाती है। विशेषज्ञ समिति की संस्तुति को अनुमोदन के लिए माननीय संस्कृति मंत्री के समक्ष रखा जाता है।

प्रश्न 9. अनुदान जारी करने की प्रक्रिया और भुगतान का तरीका?

उत्तर : कुल परियोजना लागत का 75% तक अनुदान के लिए माना जाता है। अनुदान 75% और 25% की दो किस्तों में जारी किया जाता है। सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से किए जाते हैं।

प्रश्न 10. अनुदान जारी करने के लिए क्या आवश्यकता(एँ) हैं?

उत्तर :- प्रथम किस्त (75 प्रतिशत) जारी करने की आवश्यकता नीचे दी गई है:

i. अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन का सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पंजीकरण।
ii. बैंक खाते को पीएफएमएस से जोड़ना।
iii. एनजीओ दर्पण पोर्टल से विशिष्ट आईडी की उपलब्धता ।

दूसरी किस्त (25 प्रतिशत) जारी करने की आवश्यकता नीचे दी गई है:

i. निर्धारित समयावधि के भीतर जीएफआर की धारा 12क के अंतर्गत अनुलग्नक-I और II के साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।
ii. आय एवं व्यय विवरण प्रस्तुत करना।
iii. फोटो, निमंत्रण कार्ड, समाचार पत्र की कटिंग, सोशल मीडिया लिंक आदि प्रस्तुत करना।

प्रश्न 11. स्कीम का परिणाम क्या है?

उत्तर :- सीएफपीजी स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों को अपने प्रोडक्शन/समारोह/सेमिनार आदि के वीडियो यूट्यूब/फेसबुक/ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपलोड करने और संस्कृति मंत्रालय को उसका लिंक उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, जिससे देश के नागरिकों के बीच देश की समृद्ध और विविध संस्कृति को बढ़ावा मिल सके।